

उत्तर प्रदेश शासन,  
वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-10  
संख्या-ई-10-162-1(gem)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 11 सितम्बर, 2017

कार्यालय -आदेश

भारत सराकर द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) विकसित किया गया है, जो gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल को उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरी यूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:-

sr	role	designation	name of Organization
1.	primary User	निदेशक	निदेशालय कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
2.	primary User	निदेशक	वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3.	primary User	निदेशक	वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4.	primary User	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स, विकासदीप, लखनऊ।
5.	primary User	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6.	primary User	निदेशक	पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7.	primary User	निदेशक	आन्तरिक लेखापरीक्षा निदेशालय, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
8.	primary User	अपर निदेशक	राष्ट्रीय बचत निदेशालय, विकासदीप, लखनऊ।
9.	primary User	निदेशक	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10.	primary User	निदेशक	निदेशालय स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11.	primary User	निदेशक	बजट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12.	primary User	निदेशक	फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
13.	primary User	अपर निदेशक	उ0प्र0 राज्य लाटरी निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।।
14.	primary User	निदेशक	अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।

15.	primary User	विशेष सचिव वित्त (सेवायें) अनुभाग-4	वित्त विभाग, उ0प्र0शासन लखनऊ।
16.	verifying Officer	प्रमुख सचिव एवं वित्त आयुक्त।	वित्त विभाग उ0प्र0शासन।

- 2- उपरोक्त प्राइमरी यूजर GeM ([http://gem.gov.in /auth /register](http://gem.gov.in/auth/register)) पर पंजीकरण करा लेंगे।
- 3- यदि एक अधिकारी उपरोक्त वत दो या अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थानों में वे अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिये प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।
- 4- प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-
  - आधार नम्बर
  - आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
  - सरकारी ई-मेल आईडी ( nic.in / gov.in domain पर)
- 5- एकरूपता के लिये विभागाध्यक्ष /संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आईडी का अकाउंट/ यूजरनेम ( @ से पूर्व का भाग) यूजर आईडी के रूप में रखा जाये।
- 6- शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाये।
- 7- जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिये प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मैथड में शासकीय विभागों द्वारा Others तथा पुनः नीचे के कॉलम में Others को चयनित किया जाये। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाये। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।
- 8- प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी सेकेण्डरी यूजर्स जेम पोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सके।
- 9- सभी उपयोग कर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेम पोर्टल का उपयोग करें।

संजीव मित्तल

प्रमुख सचिव एवं वित्त आयुक्त

संख्या-ई-10-162 (1)/दस-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री, उ0प्र0शासन।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव , उ0प्र0शासन।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।

